फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 404 वर्ष 2023

सुरेश बनाम धर्मराज वगै0

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
1.12.2023	दावे के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश हुआ। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। हमारे द्वारा मजमून प्रार्थना पत्र इसके साथ संलग्न नकले, राजस्व अभिलेख तथा एकपक्षिय बहस अभिभाषक प्रार्थीगण पर गौर किया गया। प्रथम दृष्टिया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रबल प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक के लिए जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 245/2, 246/2, 243/3, 245/1, 245/3 वाके ग्राम भावंती तह0 निवाई जिला टोंक राज. मे स्थित उक्त वादग्रस्त खसरा नं. की भूमि में अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थितिति बनाये रखे। यदि इस आदेश से उन्हे कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजिस्टर एडी से की जाकर पत्रावली दिनांक 6/3/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	
6/3/24	पत्रावली पेश हुई। आज साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 14/6/24 को पेश हो।	
14/06/24	पत्रावली पेश हुई। आज साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक 21/8/24 को पेश हो।	
21/8/24	पत्रावली पेश हुई। बमुलाहिजा उपस्थित/ वकील प्रार्थी ने नोटशीट पर NOT PRESS अंकित कर हस्ताक्षर किये। प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	